न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.81/प्रा.पत्र/2024 (GCMS No. 2024/130)	20.08.2024	03.11.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

-- प्रार्थी

बनाम

1. हरला पुत्र रतना जाति बंजारा निवासी बेवडिया, तहसील तालेडा
(मृतक जर्ये कायम मुकामान) :-
1/1. सरूपा पुत्र हरला जाति बंजारा निवासी बेवडिया तह. तालेडा
1/2. घीसी पुत्री हरला जाति बंजारा निवासी बेवडिया तह. तालेडा

1/3. गोरू पुत्र हरला जाति बंजारा निवासी बेवडिया, तहसील तालेडा
(मृतक जर्ये कायम मुकामान) :-
1/3/1.सीताबाई बेवा गोरू बंजारा निवासी बेवडिया, तहसील तालेडा
1/3/2.प्रकाश पुत्र गोरू बंजारा निवासी बेवडिया, तहसील तालेडा
1/3/3.रोडू पुत्र गोरू बंजारा निवासी बेवडिया, तहसील तालेडा
1/3/4.मन्जू पुत्री गोरू बंजारा निवासी बेवडिया, तहसील तालेडा
1/3/5.इन्द्रा पुत्री गोरू बंजारा निवासी बेवडिया, तहसील तालेडा
1/3/6.केला पुत्री गोरू बंजारा निवासी बेवडिया, तहसील तालेडा

1/4. घासीलाल पुत्र हरला बंजारा निवासी बेवडिया, तहसील तालेडा
(मृतक जर्ये कायम मुकामान) :-
1/4/1.घीसीबाई बेवा घासीलाल बंजारा निवासी बेवडिया, तह.तालेडा
1/4/2.प्रहलाद पुत्र घासीलाल बंजारा निवासी बेवडिया, तह. तालेडा
1/4/3.राजी पुत्री घासीलाल बंजारा निवासी बेवडिया, तह. तालेडा
1/4/4.इन्द्रा पुत्री घासीलाल बंजारा निवासी बेवडिया, तह. तालेडा
1/4/5.बिनोती पुत्री घासीलाल बंजारा निवासी बेवडिया, तह. तालेडा
1/4/6.लक्ष्मी पुत्री घासीलाल बंजारा निवासी बेवडिया, तह. तालेडा
1/4/7.पूजा पुत्री घासीलाल बंजारा निवासी बेवडिया, तह. तालेडा

जिला कलेक्टर, बून्दी

1/5. गामी पुत्री हरला बंजारा निवासी बेवडिया, तहसील तालेडा
(मृतक जर्ये कायम मुकामान) :–
1/5/1.मोहन पुत्रमाता गामी बंजारा निवासी बेवडिया, तह. तालेडा
1/5/2.विजयसिंह पुत्रमाता गामी बंजारा नि0 बेवडिया, तह. तालेडा
1/5/3.कालू पुत्रमाता गामी बंजारा निवासी बेवडिया, तह. तालेडा
1/5/4.राजू पुत्रमाता गामी बंजारा निवासी बेवडिया, तह. तालेडा
1/5/5.रोडियाबाई पुत्री माता गामी बंजारा नि. बेवडिया, तह. तालेडा
1/5/6.गीता पुत्री माता गामी बंजारा नि. बेवडिया, तह. तालेडा
1/5/7.गुड्डी पुत्री माता गामी बंजारा नि. बेवडिया, तह. तालेडा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी हरला पुत्र रतना बंजारा को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 453/111 रकबा 1.2950 हैक्टेयर वाकेग्राम गणेशपुरा आवंटन आदेश दिनांक 25.10.1977 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 81/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/130 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी सरूपा एवं रमेश स्वयं उपस्थित आये तथा शेष अप्रार्थीगण कीओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 04.08.2025 को आगामी पेशी पर वकालतनामा मय जवाब पेश किये जाने बाबत अंडरटेकिंग दी गई। पेशी दिनांक 29.09.2025 को अप्रार्थीगण या उनकी ओर किसी अधिवक्ता के उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

जिला कलेक्टर, बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी या उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर उक्त भूमि में पहाड़नुमा रलाव (खनन मलबा) डला हुआ है। इस प्रकार आवंटी तथा उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि हरला आ. रतना कौम बंजारा निवासी गणेशपुरा को दिनांक 25.10.1977 को भूमि खसरा सं. 111 रकबा 8 बीघा वाकेग्राम गणेशपुरा का आवंटन किया गया था। ग्राम गणेशपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 453/111 रकबा 1.2950 हैक्टेयर पर हरला पुत्र रतना बंजारा गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आवंटी तथा उसके वारिसान अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत यहां पेश किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर ''आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है'' अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध संयुक्त मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी, आईएलआर एव नायब तहसीलदार डाबी दिनांक 28.07.2024 के अनुसार उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है तथा मौके पर भूमि पर पहाड़नुमा रलाव (खनन मलबा) डला हुआ है। कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित उक्त भूमि पर गैर खातेदार का कब्जा काश्त नहीं होने से उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया जाना प्रकट है।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने, भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाकर पहाड़नुमा रलाव (खनन मलबा) डला हुआ होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी हरला आ. रतना कौम बंजारा निवासी गणेशपुरा को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 111 रकबा 8 बीघा हाल खसरा संख्या 453/111 रकबा 1.2950 हैक्टेयर वाकेग्राम गणेशपुरा दिनांक 25.10.1977 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 03.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी